सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/12/2015/एफ.सी. /235

दिनॉकः 15.06.2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–719 (719 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–92) के किमी0 59.900 से 69.850 तक (एस0एस0पी0 चौराहा से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर स्थित 5073 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भ : क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक– 28.05.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 1006/14–2–2015–800(43)/2015, दिनांक– 30.04.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्ताव को दिनांक– 28.05.2015 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में स्वीकृति उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–719(719 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–92) के किमी0 59.900 से 69.850 तक (एस0एस0पी0 चौराहा से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु (4.1438 हे0 संरक्षित वन भूमि+3.5847 हे0 आरक्षित वन भूमि= 7.7285 हे0) संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर स्थित 5073 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि (4.1438 हे0 संरक्षित वन भूमि) के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 8.2876 हे0 (4.1438x2=8.2876) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि (3.5847 हे0 आरक्षित वन भूमि) के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 3.5847 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

5. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– एस0बी0–25230 कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7. विधिवत् स्वीकृति के पश्चात् प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलंर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मार्ग के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

9. नर्सरी के नुकसान होने के कारण वन विभाग द्वारा तैयार की गयी नवीन नर्सरी की स्थापना की योजना एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नर्सरी की स्थापना में लागत धनराशि अदा करने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाए। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा, उ0प्र0
5. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा, उ0 प्र0।
6. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)